UPAL010130812025

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,कोर्ट संख्या–05, अलीगढ़।
पीठासीन अधिकारीः– रवीश कुमार अत्री (एच.जे.एस.)
JOCODE-UP06447

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–4557/2025

1. मनोज पुत्र रामगोपाल, निवासी कोठी मौहल्ला अम्बेडकर स्कूल के पास बरला, थाना बरला, जिला–अलीगढ़। .....अभियुक्त

बनाम्

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन।

मुकदमा अपराध संख्या–144/2025
धारा–103(1), 109(1)/3(5) बी0एन0एस0
एवं धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम।
थाना–बरला, जिला अलीगढ़।

जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण

13.11.2025 प्रार्थी/अभियुक्त मनोज पुत्र रामगोपाल की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 144/2025 अन्तर्गत धारा–103(1), 109(1)/3(5) बी0एन0एस0 एवं धारा–3/25/27 आयुध अधिनियम, थाना–बरला, जिला अलीगढ में जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा विजय सिंह पुत्र गोविन्द राम दिनांक 10.07.2025 को समय करीब 8.30 बजे सुबह अपने भाई सुरेश के साथ अपने घर के गेट के सामने बैठा था तथा गेट पर उसके भाई सुरेश की पत्नी बीना खड़ी थी, तभी मनोज पुत्र रामगोपाल, निवासी अम्बेडकर स्कूल के पास कस्बा बरला, थाना बरला, जिला अलीगढ़ आया और गेट के पास खड़े होकर देख रहा था तभी बीना ने कहा कि देख क्या रहा है मार गोली आज जिन्दा मत छोड़ना तभी मनोज ने अपनी कमर से तमंचा निकाला और सुरेश के सीने में गोली मारी। वादी ने विरोध किया और पकड़ने की कोशिश की तो तमंचे में गोली भरकर वादी को जान से मारने की नीयत से गोली चलाई जो उसके कान के पास से निकलती हुई दीवार पर लगी जिसका बारूद उसके चेहरे पर लगा। इस घटना के समय

काफी लोग मौजूद थे जिन्होंने घटना देखी। अतः रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही किए जाने का निवेदन किया गया है।

वादी के भाई सुरेश को सी.एच.सी छर्रा ले गये जहॉ चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। जिसका पंचायतनामा भरा गया और पोस्ट मार्टम हुआ। वाद विवेचना विवेचक ने अभियुक्त मनोज के विरूद्ध एवं अन्य अभियुक्ता के साथ आरोप पत्र उक्त धाराओं में सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को पार्टीबन्दी के आधार पर झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के बीना देवी से कोई अवैध सम्बन्ध नहीं थे और दोनों के मकान की काफी दूरी है। अभियुक्त का बीना देवी के घर कोई आना जाना नहीं था तथा दोनों की उम्र में भी काफी अन्तर है। प्रार्थी/अभियुक्त से मौहल्ले की पार्टीबन्दी के आधार पर विजय सिंह रंजिश मानता था और रंजिश के तहत ही केस में अभियुक्त का नाम झूंठा लिखाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कभी भी कहीं भी कोई भी मृतक सुरेश चन्द्र एवं वादी विजय सिह के द्वारा कोई शिकायती प्रार्थनापत्र नहीं दिया गया है न ही कोई घटना का स्वतंत्र साक्षी है। उक्त केस का वादी विजय सिह सुरेश चंद के मकान व जमीन को हड़पना चाहता है और सुरेश चन्द्र की अज्ञात लोगों ने गोली से हत्या कर दी, विजय सिह ने बीना एवं अभियुक्त के नाम झूंठी रिपोर्ट दर्ज करा दी है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से कोई तमंचा व कारतूस की बरामदगी नहीं है तथा न ही मौके की कोई गिरफ्तारी हुई है। वादी विजय सिंह के साधारण चोट डाक्टर द्वारा बतायी गयी है, कोई गोली की चोट नहीं दिखाई गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त ने सुरेशचंद की गोली मारकर हत्या नहीं की न ही वादी पर कोई गोली चलाई है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है न ही सजायाफ्ता है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध किया गया है तथा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के भाई सुरेश चन्द की गोली मारकर हत्या कारित की है, जब वादी उसे बचाने गया तो उस पर भी जान से मारने की नीयत से गोली चलाई गयी, जिससे वादी भी गम्भीर रूप से घायल हो गया है, उनकी ओर से यह भी कथन किया गया है कि हत्या में प्रयुक्त तमंचा अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुआ है। अभियुक्त द्वारा कृत अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत आवेदन निरस्त किए जाऐ।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्र एवं केस डायरी का अवलोकन किया।

केस डायरी/प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा वादी के भाई सुरेश चन्द को गोली मारकर हत्या कारित करने एवं वादी को भी गोली मारकर घायल किए जाने का आक्षेप है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। मृतक सुरेश चन्द के पंचायतनामा के अनुसार पंचों की राय में सुरेश की मृत्यु गोली लगने के बाद हुई है। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु HAEMORRHAGIC SHOCK ANTEMORTEM FIRE ARM INJURY से होना पायी गयी है। वादी/चुटैल की चिकित्सीय रिपोर्ट के अनुसार उसके चेहरे व सिर पर छर्रे के निशान पाये गयी है। चिकित्सक डा0 कुशलपाल सिह ने अपने बयानों में यह कहा है कि पीड़ित के चेहरे व सिर पर बहुत सारे छोटे छोटे घर्षण के निशान थे। वादी ने विवेचक को दिए गये अपने बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन करते हुए, यह कहा है कि दिनांक 10.07.2025 को सुबह 8.30 बजे सुबह उसके भाई सुरेश को उसकी पत्नी बीना के कहने पर मनोज ने गोली मार दी थी विरोध पर मनोज पर उस पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई जो उसके कान के पास से निकली हुई दीवार लगी, जिसका बारूद उसके चेहरे पर लगा। गोली लगने से उसके भाई सुरेश की मृत्यु हो गयी। दौरान विवेचना घटना में प्रयुंक्त तमंचा अभियुक्त से बरामद हुआ है। विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया जिस पर प्रंसज्ञान लिया जा चुका है। अभियुक्त द्वारा कृत अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

मामलें के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुण दोष पर विचार किये बिना, पर प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र भी स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त मनोज पुत्र रामगोपाल की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 13–11–2025

(रवीश कुमार अत्री)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–05, अलीगढ़।
JOCODE-UP06447

Digitally signed by RAVISH KUMAR ATTRI
Date: 2025.11.13 16:49:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court